Seventeenth Loksabha

>

Title: Issue regarding free education to poor students under the Right to Education (RTE).

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आप इधर आ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप और इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है । मैं आपको इजाजत दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आया था । मैंने सोचा कि वजन बढ़ा लूं, तो मैं अलग से दिखूंगा, लेकिन अब मैं खंभा पीड़ित हो गया हूं । मैंने यह सोचा था कि मैं सबसे अलग दिखूंगा, लेकिन अब मैं खंभा पीड़ित हो गया हूं, तो आप मेरा निराकरण कीजिए ।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को सरकार ने निर्देश दिया था कि गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को अपने यहां निशुल्क एडमिशन देकर, उनकी 8वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था करें । इसके एवज में सरकार प्रति विद्यार्थी के मान से निजी स्कूल संचालकों को किश्त का भुगतान करती है । महोदय, योजना के शुरुआती वर्ष में शासन की इस महत्ती योजना के चलते कई गरीब परिवारों के बच्चों को देश के जाने-माने व नामचीन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला ।

यदि सरकार की यह योजना न होती तो गरीब परिवारों के बच्चों का इन स्कूलों में पढ़ने का सपना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि कई निजी स्कूलों की एक-एक माह की भारी-भरकम फीस कई गरीब परिवारों की पूरे वर्ष भर की कमाई से भी अधिक थी । लेकिन इस वर्ष योजना के तहत निजी स्कूलों में आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौवीं कक्षा में पहुंचते ही कई विद्यार्थियों को अपने स्कूल छोड़ने पड़ गए । ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बच्चे आरटीई के दायरे से बाहर हो गए हैं और अब ये निजी स्कूल इनसे अपने तय मापदंड के अनुसार फीस वसूलेंगे । इस वजह से कई योग्य विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में ही अटक जाएगी । इस संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना या इसी तरह की अन्य योजना के माध्यम से इन विद्यार्थियों की कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें । जिससे इन गरीब विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके ।